रिश्तेदारों से संबंध निभाने पर कलामे-इलाही

कुरआन में रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और उनके हक़ अदा करने पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह तआला ने कई आयतों में सिले-रहमी (रिश्तों को निभाने) की तालीम दी है और इसके फजाइल (महत्त्व) बताए हैं। साथ ही, रिश्तों को तोड़ने (कटा-कटी) से मना किया गया है और इसे गुनाह करार दिया गया है।

कुरआन में रिश्तेदारों के हक़ पर आयतें:

- **सिले-रहमी की ताकीद:** अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: "और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ-बाप के साथ भलाई करो और नातेदारों, यतीमों, मिसकीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, साथ रहने वालों, मुसाफ़िरों और अपने कब्जे में मौजूद (गुलामों) के साथ भी भलाई करो। बेशक, अल्लाह अकड़ने और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता।"

  (सूरह अन निसा 4:36)

- **रिश्तों को तोड़ने की मुमानियत:** अल्लाह फ़रमाते हैं: "तो क्या तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर तुम हुकूमत पा जाओ तो ज़मीन में फ़साद करोगे और अपने रिश्ते तोड़ दोगे? यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, और उन्हें बहरे और अंधे बना देता है।"

  (सूरह मुहम्मद 47:22-23)

- **रिश्तेदारों के हक़ को अदा करना:** अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: "और अपने रिश्तेदारों को उनका हक दो, और मिसकीन और मुसाफिर को भी, और फुजूलखर्ची न करो।"

  (सूरह अल-इसा 17:26)

Ref: ChatGpt, subject to verification